By Speed Post

सत्यमेव जयते

No.Tour Report/7/Rajasthan/Member (HKD)/2017-RU-II
Government of India
National Commission for Scheduled Tribes
****

6th floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003
Date:-15.12.2017

To

The Principal Secretary,
Tribal Area Development Department,
Government of Rajasthan, Secretariat,
Jaipur, Rajasthan.

2. The District Collector,
District-Bharatpur,
Rajasthan.

Sub:- Tour Report of Shri H.K. Damor, Hon'ble Member, NCST on 25.09.2017 to 27.09.2017 visited to Village-Maharajsar, Village Panchyat-Murwara, Panchyat Samiti-Sewar, District-Bharatpur, Rajasthan regarding discussion of various issues for development & welfare for tribal community.

Sir,

I am directed to enclose a copy of Tour Report from 25.09.2017 to 27.09.2017 of Shri H.K. Damor, Hon'ble Member, NCST visited to Village-Maharajsar, Panchyat Samiti-Sewar, District-Bharatpur, Rajasthan on the above mentioned subject.

2. It is, therefore, requested to furnish the requisite information/Action Taken Report, if any, on the above said Tour Report to the Commission at the earliest.

Yours faithfully,

Encl: As above

(Rajeshwar Kumar)
Assistant Director
Tel: 24641640

Copy to:-

1. SAS, NIC, for uploading on the website of the Commission.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
कार्यालय सदस्य श्री एच.के.डामोर

श्री हरिकृष्ण डामोर, सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की दिनांक 25.09.2017 से 27.09.2017 तक जिला भरतपुर, राजस्थान की राजकीय प्रवास रिपोर्ट।

दौरा रिपोर्ट:

1.	**दौरा करने वाले पदाधिकारी का नाम**	श्री एच.के.डामोर, सदस्य राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
2.	**दौरे की तिथि (दिन/माह/वर्ष)**	25.09.2017 से 27.09.2017
3.	**दौरा किये गये स्थान का विवरण**	जिला मुख्यालय, भरतपुर एवं ग्राम–महाराजसर, ग्राम पंचायत–मुरवारा, पंचायत समिति–सेवर जिला–भरतपुर (राज0)
4.	**मुलाकात/बैठक मुख्य व्यक्ति/अधिकारी गण/संगठनों से मिले**	1. डॉ. एन.के.गुप्ता, जिला कलक्टर, भरतपुर 2. श्री अनिल टांक, जिला पुलिस अधीक्षक, भरतपुर 3. श्री आयुषदीप, I.A.S मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, भरतपुर 4. श्री हरिमोहन मीणा (R.A.S), अति0 आयुक्त तृतीय (माडा) जनजाति विकास विभाग, जयपुर 5. श्री एल.एन.बसंल, जिला उपवन संरक्षक, भरतपुर 6. डॉ. करतार सिंह, उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भरतपुर 7. श्री रामावतार शर्मा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भरतपुर

हरि कृष्ण डामोर/Hari Krishna Damor
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

(3)

		8. श्री गोंविद शुक्ला, पंचायत प्रसार अधिकारी, भरतपुर 9. श्री कुलदीप सिंह, पंचायत प्रसार अधिकारी पंचायत–सेवर, भरतपुर 10. जनप्रतिनिधि एवं ग्रामवासी ग्राम–महाराजसर, प.मुखरा, सेवर जिला–भरतपुर
5.	**दौरा के मुख्य बिन्दुः (भ्रमण के दौरान चर्चा किए गए प्रमुख मुददे)**	यात्रा प्रवास का विवरण तिथीवार निम्नवत है।

दिनांक 25.09.2017

सड़क मार्ग द्वारा दिनांक 25.09.2017 को नई दिल्ली से रवाना होकर भरतपुर आगमन एवं रात्रि विश्राम–सर्किट हाऊस, भरतपुर।

दिनांक 26.09.2017

प्रातः 10:00 बजे प्रकरण संख्या–232/2014, न्यायालय विशेष न्यायाधीश, विशिष्ठ न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर में सरकार बनाम इकबाल अहमद वगैरह में उपस्थित रहकर सरकार की ओर से बयान दर्ज करवाये।

अपरान्ह 3:00 बजे

जिले में अनुसूचित जनजातियों के लिए चलाई जा रही विकास विभिन्न योजनाओं एवं अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अनुवीक्षण के सदर्भ में जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों जिला कलक्टर, पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, जिला वन अधिकारी, उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से परिचर्चा की गई।

बैठक में अतिरिक्त आयुक्त तृतीय (माडा) ने अवगत कराया कि जिला भरतपुर में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या 54,090 है। जिसमें से 13,523 माडा कलस्टर क्षैत्र में निवासित है तथा बिखरी हुई जनजातियों की जनसंख्या 40,567 है। भतरपुर जिले की वैर तहसील ही माडा कलस्टर में सम्मिलित है।

हरि कृष्ण डागोर/Hari Krishna D
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled T
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

बैठक में उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भरतपुर ने अनुसूचित जनजातियों के लिए चलाई जा रही विभागीय योजनाओं, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति, छात्रावास योजना, अत्याचार सहायता योजना, सहयोग योजना, अनुप्रति योजना एवं पालनहार योजना की भौतिक प्रगति प्रस्तुत की।

उपवन सरंक्षक, भरतपुर ने अवगत कराया कि वन विभाग में वन अधिकार अधिनियम–2006 का कोई भी प्रकरण लम्बित नहीं है। सदस्य महोदय द्वारा सामुदायिक दावे के प्रस्तावों की वस्तुस्थिति से अवगत कराने तथा जिन ग्राम पंचायतो ने वन अधिकार अधिनियम–2006 के तहत सामुदायिक दावा प्रस्तुत नहीं किया है, उनकी प्रक्रिया तत्काल पूर्ण करवाये जाने की आवश्यकता पर बल दिया।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परषिद्, भरतपुर ने बैठक में अनुसूचित जनजातियों की छात्राओं के लिए चलाई जा रही निःशुल्क स्कूटी योजना एवं अर्थिक सहायता, प्रोत्साहन योजना, जनजाति छात्र–छात्रा कौशल प्रशिक्षण, माडा योजना के उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की वस्तुस्थिति की भौतिक प्रगति की जानकारी दी।

बैठक में जिला कलक्टर ने जिला भरतपुर की वर्तमान प्रगति एवं वस्तुस्थिति तथा पुलिस अधीक्षक ने अपराध की वस्तुस्थिति से अवगत कराया।

अनुसूचित जनजाति ग्राम–महाराजसर, ग्राम पचांयत–मुरवारा, सेवर, जिला–भरतपुर का दौरा

माननीय सदस्य महोदय ने प्रवास के दौरान अनुसूचित जनजाति ग्राम–महाराजसर, ग्राम पंचायत–मुरवारा में ग्रामवासियों, जनप्रतिनिधियों एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ माननीय सदस्य की अध्यक्षता में राजकीय आदर्श माध्यमिक विद्यालय महाराजसर में एक बैठक आयोजित की गई।

बैठक के प्रारम्भ में ग्रामवासियों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा माननीय सदस्य का माल्यापर्ण व साफा बंधवाकर स्वागत किया गया। सदस्य महोदय द्वारा ग्रामवासियो से विकास योजनाओं की प्रगति एवम् उनकी समस्याओं की जानकारी मांगने पर ग्रामवसियो ने अवगत कराया किः–

हरि कृष्ण डामोर / Hari Krishna Damor
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

(5)

1. ग्राम महाराजसर के दो परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभान्वित किया गया है। जिसकी द्वितीय किस्त भी लाभार्थियों को प्राप्त हो चुकी है।

2. स्वच्छ भारत अभियान के तहत ग्राम पचांयत के कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधि साझा रूप से ग्राम को गंदगी मुक्त करने के लिए एक जागरूकता अभियान चलाने के साथ–साथ जिन परिवारों के अपने आवास में शौचालय नहीं है, उन्हें शीघ्रतिशीघ्र शौचालय बनवाने हेतु प्रेरित कर रहे है।बैठक में यह भी अवगत कराया कि राज्य सरकार भी स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय निर्माण हेतु 12,000/– का आर्थिक अनुदान प्रदान कर रही है।

3. सरपंच ने बैठक में अवगत कराया कि ग्राम महाराजसर के राजकीय माध्यमिक विद्यालय के पास 9 बीघा भूमि उपलब्ध है, जिसकी चारदीवारी नहीं होने के कारण अतिक्रमण को बढ़ावा मिल रहा है। यदि राज्य सरकार मनरेगा के तहत चारदीवारी निर्माण का कार्य करवाती है, तो राजकीय भूमि जहाँ अतिक्रमण मुक्त होगी, वहीं ग्राम के अनुसूचित जनजाति बेरोजगार परिवारों को भी रोजगार उपलब्ध होगा।

बैठक में उपस्थित अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, भरतपुर ने अवगत कराया कि वर्तमान में जिला परिषद् के पास केवल खेल मैदान के समतली करण एवं मेडबन्दी का प्रस्ताव ही पारित हुआ है। अतः चारदीवारी का कार्य वर्तमान में नहीं करवाया जा सकता है।

जिस पर सदस्य महोदय ने तत्काल प्रस्ताव बनाकर भिजवाने एवम् नियमानुसार किसी भी मद से कार्य करवाने का सुझाव दिया। चारदीवारी के अभाव में अतिक्रमण तथा बारिश के मौसम में खेल मैदान के समतलीकरण में कटाव इत्यादि से मुक्ति सम्भव नहीं है। अतः चारदीवारी निर्माण कार्य की आवश्यकता पर बल दिया।

बैठक में सदस्य महोदय द्वारा ग्रामवासियो से पूछा गया कि क्या ग्राम कि किसी बालिका को स्कूटी योजना का लाभ प्राप्त हुआ है। जिस पर ग्रामवासियों द्वारा अनुसूचित जनजाति की एक बालिका द्वारा 12वीं कक्षा में 60% अंक लाने पर लाभान्वित किये जाने से अवगत कराया तथा यह भी बताया कि 10वीं कक्षा में 60% अंक लाने पर अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को 3500/– की वित्तिय प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है।

हरि कृष्ण डामोर/Hari Krishna Damor
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

ग्रामवासियों ने गांव के रास्ते पक्के करवाने के लिए ग्राम पंचायत के पास बजट अपर्याप्त होने के कारण बजट बढ़वाने हेतु निवेदन किया तथा कैटल शैड योजना के तहत अनुसूचित जनजाति के 2 परिवारों के आवेदन लम्बे समय से प्रतिक्षित है, उन्हें स्वीकृत करवाने हेतु निवेदन किया। माडा योजना के तहत विद्यालय में 2 कमरों के निर्माण की भी आवश्यकता बताई।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने माडा योजना के तहत कमरा निर्माण हेतु प्रस्ताव बनाने का सुझाव देतु हुए अवगत कराया कि ग्रामीण कौशल विकास योजना के तहत ग्रामीण बेरोजगार युवा अपना स्वरोजगार स्थापित करने के लिए RSLDC से प्रशिक्षण एवं वित्तिय सहायता प्राप्त कर सकते है। राज्य सरकार भी वर्तमान में सीतापुर औद्योगिक क्षैत्र जयपुर में प्लास्टिक के सामान बनाने का प्रशिक्षण देकर शत् प्रतिशत रोजगार नियोजन भी करवा रही है।

सदस्य महोदय को ग्रामवासियों ने यह भी बताया कि ग्राम में पेयजल की समस्या है। भूगर्भिय जल कठोर तथा फ्लोराइड युक्त होने के कारण पीने योग्य नहीं है। जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग द्वारा गांव में जल शोधन हेतु RO प्लांट भी लगवाया गया था, परन्तु यह शोधन यत्रं अधिकांशतः अधिकतर खराब ही रहता है तथा राज्य सरकार द्वारा समय पर इसकी मरम्मत नहीं करवाई जाती है। यह गंभीर समस्या है।

सदस्य महोदय द्वारा RO प्लांट एवं स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनवाये गये शौचालयों का भी निरीक्षण किया गया। गाँव में भ्रमण करने पर कुछ वास्तविकताओं का भी पता चला। गाँव में सफाई व्यवस्था ठीक नही है। गंदे पानी के निकास हेतु नालियाँ नहीं बनी हैं। सड़के ठीक तरह से नही बनी है। कुछ शौचालय अधूरे पड़े है जबकि भुगतान पूरा हो चुका है। कुछ पुराने शौचालयों को नया बनवाया बताकर भुगतान प्राप्त कर लिया है। कुछ शौचालयों का उपयोग नही किया जा रहा है।

बैठक के अन्त में सदस्य महोदय ने ग्रामवासियों द्वारा किये गये स्वागत का आभार व्यक्त करते हुए बैठक में उपस्थित जिला प्रशासन के अधिकारियों को ग्राम समस्याओं के निदान हेतु तत्काल कार्यवाही बाबत् सुझाव देते हुए संविधान के अनुच्छेद 338A के तहत गठित राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का संक्षिप्त परिचय दिया तथा आयोग के कार्यो एवं शक्तियों से ग्रामवासियों को अवगत करवाया।

हरि कृष्ण डामोर / Hari Krishna Damor
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

ग्रामवासी अपनी समस्याओं के निदान हेतु किस प्रकार आयोग को अपना अभ्यावेदन/प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकते है, यह प्रकिया भी बैठक में सदस्य महोदय द्वारा बताई गयी।

सदस्य महोदय ने ग्रामवासियों को प्रत्येक छोटी मोटी समस्या के लिए राज्य सरकार/भारत सरकार की ओर देखने के स्थान पर सामुदायिक प्रयास द्वारा ग्राम समस्याओं के निदान का भी सुझाव दिया। सदस्य महोदय ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने शिक्षा का स्तर सुधारने, रोजगार को बढ़ावा देने हेतु आवश्यक तकनिकी कौशल बढ़ाने हेतु प्रयास करने हेतु बल दिया।

RO प्लांट यदि राज्य सरकार सही समय पर मरम्मत नहीं करवाती है तो सामुदायिक एवं साझा प्रयास द्वारा धन संग्रहण के द्वारा ग्राम पचांयत भी RO प्लांट की AMC (Annually Maintenance Contract) दे सकती है। गांव के कच्चे रास्तों का सुदृष्टीकरण भी ग्रामवासी माह में एक दिन ग्राम श्रमदान के द्वारा भी कर सकते है। उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर के ग्रामीण छात्र भी युवा दल बना कर श्रमदान से ग्राम में स्वच्छता अभियान को बढ़ावा दे सकते है। प्रत्येक ग्राम यदि सामूहिक श्रमदान से भी प्रयास करे तो एक राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण कर देश प्रगति में अपना अंशदान दे सकते है। बैठक के अन्त में सदस्य महोदय ने सभी अधिकारियों को अनुसूचित जनजाति के विकास हेतु सार्थक एवं यर्थाथपूर्ण प्रयास करने, उनके प्रति संवेदनशील होकर भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को तत्परता से लागू करने और उनकी कठिनाईयों की सुनवाई की जाकर शीघ्र निराकरण करने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने के सुझाव देते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया।

दिनांक 27.09.2017

सड़क मार्ग द्वारा प्रातः 08:30 बजे भरतपुर से प्रस्थान कर दोपहर 14:30 बजे नई दिल्ली आगमन।

****

हरि कृष्ण डामोर/Hari Krishna Damor
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi